16 $\frac{7}{24}$ पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण हाजिर। आवेदन पत्रकारी पर बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व सीमाज्ञान की रिपोर्ट का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है जिन्होंने कृषि खसरा नम्बर 20, 20/437, व 21 का सीमाज्ञान पटवारी हल्का मौके से दिनांक 12.06.2017 को उक्त खसरों का सीमाज्ञान किया जा चुका है अतः प्रार्थीगण का आवेदन बाबत पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से इकजा करा शा. शामिल रहे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास गाविन्द सिंह भींचर, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः– 35 / 2021 / आवेदन पत्थरगढी

1 संजीव कुमार
2. सुभाष कुमार } पुत्रगण पेमाराम।

3. सुन्दरी देवी पत्नि पेमाराम।

4. भूराराम
5. नारायण } पुत्रगण गोपीराम।
6. लालूराम

7. बलदेवराम पुत्र गंगाराम।

8. दिनेश कुमार
9. महेश कुमार } पुत्रगण अमराराम।

10. बनारसी देवी पत्नि अमराराम।

11. नेमाराम पुत्र लिछमणराम ।

12. कानीदेवी पत्नि लिछमणराम ।

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम दानजी का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज०)।

– प्रार्थीगण

ब ना म

1 लालाराम
2 मदनलाल } पुत्रगण भैंरूराम।

3. श्रवणीदेवी पत्नि मदनलाल

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम दानजी का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

4 कालूराम
5 पेमाराम — पुत्रगण चूनाराम।
6 रामेश्वर

समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम दानजी का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज०)।

7 भंवरलाल
8. रामचन्द्र — पुत्रगण गुल्लाराम ।

समस्त जाति जाट निवासीगण अमानीपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

9 पटवारी, पटवार हल्का मेई तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

10. तहसीलदार (भू–धारक) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

– अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत अन्तर्गत धारा 111
भू–राजस्व अधिनियम 1956 (पत्थरगढ़ी)

उपस्थिति–

1. वकील श्री सुरेन्द्रपाल धायल प्रार्थीगण की ओर से।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

नि र्ण य **दिनांक– 16.07.2024**

1. आवदेन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण/आवेदकगण की कब्जे, काश्त एवं खातेदारीशुदा कृषि भूमियों खसरा नम्बर 20 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 20/437 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 रकबा 2.8100 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.9200 हैक्टेयर वाके ग्राम दानजी का बास पटवार हल्का मेई (राजनपुरा) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण / आवेदकगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा आवेदकगण का ही मौके पर कब्जा व काश्त है। अप्रार्थीगण जो कि प्रार्थीगण/आवेदकगण की कृषि भूमियों के उत्तरी–पूर्वी व पश्चिमी सीमा के पड़ौसी है जो कि आये दिन आवेदकगण की कृषि भूमियों की सींव नींव को खुर्द–बुर्द करते रहते है व लड़ाई–झगडा करते रहते है जिससे परेशान होकर आवेदकगण अनावेदक संख्या 10 तहसीलदार दांतारामगढ़ के यहाँ पर दिनांक 11.05.2017 को सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पेश करने पर अप्रार्थी संख्या 10 ने पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर दिनांक 11.05. 2017 को ही हल्का पटवारी को आवेदन–पत्र की

मद संख्या एक में वर्णित भूमियों का सीमाज्ञान करने हेतु आदेश जारी कर दिया। श्रीमान तहसीलदार महोदय दांतारामगढ़ के आदेश क्रमांक भू–अभिलेख/17/03 दिनांक 11.05.2017 की पालना में हल्का पटवारी मय राजस्व रिकार्ड व सीमाज्ञान करने हेतु जरीब सहित दिनांक 12.06.2017 को आवेदन की मद संख्या एक में वर्णित भूमियों पर पहुँच कर आस पड़ौसियों की मौजूदगी में सीमाज्ञान करने हेतु भूमि खसरा नम्बर 31 में बने पुराने कुए का पॉईन्ट निर्धारित कर सीमाज्ञान किया। उक्त सीमाज्ञान की मौका फर्द पर हल्का पटवारी मेई द्वारा सीमाज्ञान पूर्ण कर अप्रार्थी संख्या 10 तहसीलदार दांतारामगढ के यहाँ पर पेश कर दिया। सीमाज्ञान करवाने के बाद अप्रार्थीगण, आवेदकगण की भूमियों की सींव–नींव को खुर्द–बुर्द करते आ रहे है। अप्रार्थीगण संख्या में अधिक है व राजनैतिक पहुँच वाले व्यक्ति है। दिनांक 03. 03.2021 को रात्रि में आवेदकगण की भूमियों में जबरदस्ती प्रवेश कर भूमि की नींव–सींव को खुर्द–बुर्द कर दिया। अप्रार्थीगण आये दिन आवेदकमण की कृषि भूमियों की नींव सींव खुर्द–बुर्द करते रहते है इसलिए आवेदकगण की कृषि भूमियों वर्णित आवेदन की मद संख्या एक की पत्थरगड्डी / पुख्ता सीमा चिन्हं कायम करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है इसलिए आवेदकगण, आवेदन–पत्र की मद संख्या एक में वर्णित भूमियों की पत्थरगड्डी करवाने के अधिकारी है। आवेदन की मद संख्या एक में वर्णित भूमियों पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के यहाँ पेशशुदा अपील संख्या 225/2017 बउनवानी लालाराम बनाम संजीव कुमार आदि में स्थगन आदेश होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगड्डी का आवेदन समय पर पेश नहीं किया गया जा सका। उक्त स्थगन आदेश दिनांक 05.03.2021 को खारिज हो जाने के कारण अब श्रीमान के यहाँ पत्थरगड्डी का आवेदन पेश किया जा रहा है। आवेदन की मद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमियाँ प्रार्थीगण/आवेदककण की कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा है इसलिए प्रार्थीगण/आवेदकगण अपनी भूमियों की पत्थरगड्डी करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण / आवेदकगण ने स्वच्छ हाथों से पड़ौसियों से कोई दुर्भावना नहीं रखते हुए स्वयं के खाते, कब्जे, काश्त, स्वामित्व की आवेदन वर्णित कृषि भूमियों की पत्थरगड्डी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। समुचित कार्यवाही करके पत्थरगड्डी के आदेश प्रदान किया जाना उचित व न्याय संगत है। दिनांक 03.03.2021 को रात्रि में जबरन अप्रार्थीगण, आवेदकगण की भूमियों की नींव सींव को खुर्द–बुर्द कर मिट्टी के डोल को तहस–नहस कर दिया। ऐसा करने से प्रार्थीगण / आवेदकगण द्वारा अप्रार्थीगण को मना करने पर वे लोग आवेदकगण के साथ लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा हो गये तब से वाद कारण उत्पन्न होकर आवेदकगण को यह आवेदन पेश किया जाना लाजमी हुआ है। अतः आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण / आवेदकगण की कब्जे,

काश्त व खातेदारीशुदा कृषि भूमियों खसरा नम्बर 20 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 20/437 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 रकबा 2.8100 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.9200 हैक्टेयर वाके ग्राम दानजी का बास पटवार हल्का मेई (राजनपुरा) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की पत्थरगड्डी किये आने के आदेश तहसीलदार दांतारामगढ़ को प्रदान करने की कृपा करे।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

3. आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पर बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। आवेदन पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों तथा सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। ग्राम दानजी का बास पटवार हल्का मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के अवलोकन सें स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 20, 20/437, 21 वाके ग्राम दानजी का बास पटवार हल्का मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व दर्ज रिकॉर्ड है जिसका सीमाज्ञान पटवारी हल्का मेई से दिनांक 12.06.2017 को करवाया गया है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार योग्य है। अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2017 के मुताबिक पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ नियमानुसार प्रार्थीगण की आवेदित भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी करवावें तथा आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें। पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। उक्त पत्थरगढी के आदेश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कब्जे से बलात् व बेदखल न करें।

यह आदेश आज दिनांक 16.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह भींचर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ